संख्या- 3/2024/1823599/63-व0उ0-2024

प्रेषक,

सत्येन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊः दिनांकः 1 अगस्त, 2024

विषयः- पी0एम0 मित्रा पार्क में बाउण्ड्रीवाल, पार्क के मुख्य द्वार का निर्माण तथा पार्क के साइट आफिस एवं विपणन कार्यालय का उच्चीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-196/ह0क0/नियोजन/2024-25 दिनांक 06.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पी0एम0 मित्रा पार्क में बाउण्ड्रीवाल, पार्क के मुख्य द्वार का निर्माण तथा पार्क के साइट आफिस एवं विपणन कार्यालय का उच्चीकरण कराये जाने हेतु धनराशि रू0 2350.10 लाख (रूपये तेईस करोड पचास लाख दस हजार) मात्र की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्राविधानित बजट रू0 200 करोड के सापेक्ष धनराशि रू0 1170.29 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ सत्तर लाख उन्तीस हजार) मात्र की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृति पी.एफ.ए.डी. द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी। पी.एफ.ए.डी. द्वारा मूल्यांकित प्रति संलग्न है।

(2) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा की जायेगी।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्रधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है, तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग शासनादेश संख्या-308/63-व0उ0-2023-4(एच)/2022 दिनांक 24-02-2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत व्यय व स्वीकृत धनराशि के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

(8) धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

4- प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 1170.29 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ सत्तर लाख उन्तीस हजार) मात्र को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अधीन लेखाशीर्षक-4851-ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय,103-हथकरघा उद्योग-04-पी0एम0 मित्र योजनान्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से सम्बन्धित विविध व्यय-30-निवेश/ऋण अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उक्त धनराशि व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-59-X-2024-25-दिनांक: 26-07-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक:यथोक्त।</u>

भवदीय,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या- 3/2024/1823599(1)/63-व0उ0-2024 तद दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय,125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अनु सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in